राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—एफ.2 (क) (पी—320)/अलेसे— I / 3335—3341 दिनांकः— 28/03/24

आदेश

श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, हाल निलंबित को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत अपराध संख्या 200/2022 में दिनांक 21.05.2022 को कार्यवाही कर गिरफ्तार किए जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 366 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उनकी गिरफ्तारी दिनांक 21.05.2022 से निलंबित किया गया।

श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 1128/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किए हैं:—

"It is submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner filed multiple representations dated 19.04.2023 and 18.01.2024 before the respondent authorities for the redressal of his grievance. However, no heed was paid to the same. In this regard, learned counsel has relied upon the dictum of the co-ordinate Bench judgment of this Court as enunciated in S.B. CWP No. 13479/2023 titled as Brij Bhusan Sharma vs. State of Rajasthan.

In this background, this Court deems it appropriate to direct the respondent-authorities to adjudicate upon/address the representations filed by the petitioner dated 19.04.2023 and 08.01.2024, in accordance with law, while adhering to the principles of natural justice, within a period of 8 weeks.

In light of the aforesaid, the petition is disposed of."

श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में इस विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी एवं ब्यूरो द्वारा प्रकरण में माननीय न्यायालय में दिनांक 12.07.2022 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2024 के क्रम में श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किये जाने पर अब प्रकरण में साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को प्रभावित करने की स्थिति दर्शित नहीं होती है। साथ ही इसी प्रकरण में श्री बृजभूषण शर्मा, तत्कालीन वित्तीय सलाहकार को कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन से बहाल किया जा चुका है।

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 1128/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 की अनुपालना में श्री प्रकाश शर्मा द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(5) में वर्णित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रकाश शर्मा, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, मुख्यालय कोषालय, दौसा को एतद् द्वारा तुरंत प्रभाव से निलंबन से बहाल कर निलंबन काल के वर्तमान मुख्यालय पर ही आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाता है।

श्री प्रकाश शर्मा की निलंबन अवधि का नियमन इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निर्णयानुसार गुणावगुणों के आधार पर किया जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ.2 (क) (पी—320)/अलेसे— I / 3335—3341 दिनांकः— 28/03/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर।
3. कोषाधिकारी, दौसा/कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
4. श्री प्रकाश शर्मा, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, मुख्यालय कोषालय, दौसा।
5. संयुक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)